पुरुषवादी मानसिकता से संघर्ष करता नारीवाद : अतीत और वर्तमान

आशुतोष कुमार यादव

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय – वाराणसी

ISS Membership No. M 2195

मानव समाज में आधी हिस्सेदारी रखने वाली, समय व सभ्यता में निरंतरता व जीवंतता बनाये रखने वाली, समाज व संस्कृति को अपने कर्मो से सींचने वाली,उसे पल्लवित एवं पुष्पित करने वाली, प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष योगदानो के माध्यम से समाज को निरंतर विकास की ओर अग्रसर करने वाली नारी को समाज में एक वस्तु, मनोरंजन का साधन मानकर उसे पुरुषवादी नजरिये से देखा जाता है. उसके व्यक्तित्व, कर्म व शारीरिक संरचना को पुरुषवादी मानसिकता से परिभाषित किया जाता है और उसे संस्कार, संस्कृति, परंपरा, मर्यादा, आदि, के नाम पर तमाम बन्धनों व पाशों में बांधा जाता है और जब वह इन बन्धनों को तोड़ने का प्रयास करती है तो उसे ही बौद्धिक जगत में नारीवाद का नाम दिया जाता है. नारीवाद पुरुष का विरोध नहीं बल्कि पुरुषवादी मानसिकता का विरोध है. अपने न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारों का आन्दोलन होने के साथ - साथ अपने आपको स्वयं के नज़रिए से देखने व परिभाषित करने की उत्कंठा है.

महाभारत में पाण्डवों द्वारा द्रौपदी को जुए के दाव में लगाना, भरी सभा में कौरवों द्वारा उसे नंगा किया जाना, रामचरितमानस में पुरुषोत्तम राम द्वारा सीता के यौन सुचिता की परीक्षा लेना नारी के नारकीय स्थिति को बयाँ करती है. भारतीय धर्मशास्त्रों एवं तथाकथित मनीषियों ने नारी को हमेशा दोयम दर्ज़े का नागरिक ही समझा है. उसके सम्पूर्ण जीवनचक्र को घर की चहारदीवारी में कैद करने का प्रयास किया है. सार्वजनिक गतिविधियों, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उसकी भूमिका नगण्य ही रही. कभी भी उसे पुरुषों के बराबर नहीं समझा गया. उसे उन समस्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं से वंचित रखा गया जिन अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग पुरुष समाज करता था. उसे कही भी पुरुषों के साथ कदमताल करने की इज़ाज़त नहीं थी. वह पुरुषों का एक अलंकार मात्र थी.

आज भी नारी की समस्याओं और उसके अमानवीय व असमनातामूलक स्थान को कभी परम्परा तो कभी ऐतिहासिक संदर्भो के आधार पर सही ठहराते हुए यथा स्थितिवाद का समर्थन किया जाता है. हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जब कोई समाज अतीत के अंधकार में गुम होने लगता है और परम्पराएँ उनके पैरों कि जंजीर बन जाती हैं तो हमें अतीत की नयी व्याख्या एवं परम्परा की नयी परिभाषा गढ़ने से परहेज नहीं करना चाहिए.

''भारतीय समाज में सरोगेट महिलाओं की समाजिक स्थिति''

प्रियंका

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय - वाराणसी

''मातृत्व'' प्रत्येक नारी के लिये ईश्वर का दिया सबसे कीमती उपहार है, जो उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी पूरा करता है और परिवार में खुशियाँ लाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, प्रत्येक को ऐसा ' मातृत्व ' का आर्शीवाद प्राप्त नहीं होता है। संतानोत्पत्ति से सम्बन्धित अनेक समस्यायें स्त्री व पुरूष को होती है। यहाँ विविध प्रकार की चिकित्सीय सुविधायें दंपतियों के लिये उपलब्ध होती है। यदि, दंपति फिर भी सन्तानोपति मे समस्याये महसूस करते हैं तो ''सरोगेसी'' सन्तानोपति का एक खुला विकल्प है।

सामान्यतः 'सरोगेसी' शब्द से आशय एक महिला व दंपति के बीच का आपस का आंतरिक एग्रीमेंट है जो अपना खुद का बच्चा चाहता हो। वे महिला जो किसी और दंपति के बच्चे को अपनी कोख से जन्म, देने के लिये तैयार हो जाती हो। उसे 'सरोगेट मदर' कहा जाता है।

भारत में 'सरोगेसी' को देखा जाये तो इसमें उपेक्षित वर्ग की, ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं का अधिक संख्या में संल्गन पाया जाना है। जिसमें अधिकांश संख्या में र्निधन, निरक्षर, व उनमें अपनी सुरक्षा व अधिकारों को लेकर जागरूकता में कमी है। मुख्यतः ये महिलायें समाज के वैसे तबके से है। जिनकी आय बहुत कम है साथ ही उनके पास जीविका के साधन कुछ ऐसा ठोस नहीं है जिससे वे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सके ऐसे में इन गरीब महिलाओं को सरोगेसी के माध्यम से आर्थिक लाभ कमाने की उम्मीद है और 'सरोगेसी उनके लिये चिकित्सा में हुई प्रगति के रूप में एक वरदान है।

प्रस्तुत शोध–पत्र में इन महिलाओं की प्रस्थिति को समझने के साथ–साथ इस व्यवसाय से जुड़कर उन्हें किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जानने का प्रयास किया जायेगा। सरोगेसी व सरोगेट मदर के प्रति समाज के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जायेगा। इसके साथ में महिलाओं के सुरक्षा व उन्हे प्राप्त अधिकारों के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा किये गये संवैधानिक उपायो की चर्चा कर प्रकाश में लाया जायेगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

Deepanjali
Research Scholar
Department of Sociology
BHU - Varanasi

भारत का सविंधान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है | लेकिन व्यव्हार में महिलाओं के साथ घर और घर के बाहर दोनों जगह भेदभाव होता है |

कार्यस्थल पर माहिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिला सहयोगियों के खिलाफ पुरुष सहयोगियों की ओर से अवांछित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन संपर्क, टिप्पणी या आचरण के रूप में समझा जा सकता है |

भारत की संसद ने महिलाओं के साथ इस प्रकार के उत्पीड़न के लिए एक विशेष अधिनियम 9 December, 2013 को लागू किया जिसे **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal)Act, 2013** कहते हैं |

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने से सम्बंधित विधेयक ही पर्याप्त नहीं है अपितु भारत की परंपरागत पित्तृसत्तात्मक संरचना को भी बदलने की आवश्यकता है | जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं को भी पुरुषों के समान सम्मान एवं अधिकार प्राप्त हो सके | प्रस्तुत शोध पत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन किया गया है तथा समस्याओं के समाधान के उपाय भी सुझाये गये हैं |

Key words – *महिला, कार्यस्थल, यौन उत्पीड़न |*

दोहरी भूमिका का द्वन्द्व झेलती कामकाजी महिलाएँ

ISS membership No. 172
RC 10 : Gender Studies
इप्शिता चटर्जी
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
ईमेल– chatterjeeip7@gmail.com
मो न0– 9455039170

आज की स्त्री की स्थिति परम्परागत नारी की स्थिति से भिन्न है। वह अपनी सीमा व सामर्थ्य को पहचान कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। आज महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर हर क्षेत्र में पुरूषों का वर्चस्व तोड़ रही है। लेकिन कामयाबी के बावजूद परिवार से जो सहयोग उन्हें मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। समाज में दोहरी भूमिका निभाती कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ भी दोहरी है। समाज उन्हें उत्कृष्ट महिला के रूप में देखने की अपेक्षा

करता है जो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारीयों को बखूबी निभाये। उन्हें घर पर न पति का सहयोग मिलता है और न कार्यस्थल पर सहकर्मी का। ऐसे में वह टूटती है, गिरती है, बिखरती भी है और इन्हीं स्थितियों के मध्य अपनी अस्मिता को खोजती है। अतः उनके मार्ग में नैतिकता, आदर्श, पित्तृसत्तात्मक सोच बाधाएँ खड़ी करता रहता है। बदलते वक्त में महिलाएँ आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुई है और उनकी हैसियत एवं सम्मान में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अगर कुछ नहीं बदला है तो वह है महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारी और बच्चों का लालन–पालन। अतः इस प्रपत्र में मैं कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका की समस्याओं का उल्लेख करूँगी।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण :समीक्षात्मक विश्लेषण

दिवाकर सिंह यादव

शोधछात्र , समाजकार्य

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी

वर्तमान समय में 'स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण' राष्ट्रीय विमर्श का प्रमुख विषय है. इस विमर्श के दो प्रमुख पक्ष है, प्रथम पक्ष के समर्थकों का तर्क है स्वयं सहायता समूह ने महिला सशक्तीकरण की प्रकिया को गति प्रदान की है साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा और महिलाओं की सामाजिक –आर्थिक विकास की आवश्यकता एवं सम्भावना में स्पष्ट रूप में समानता है. द्वतीय पक्ष के समर्थकों का तर्क है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण मात्र एक सैद्धांतिक संकल्पना है क्योकि विगत 20 वर्षो में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूह आधारित विभन्न कार्यक्रमों के संचालन के बाद भी व्यावहारिक रूप में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नही आया है

उपरोक्त दोनों पक्षों के अपने –अपने तार्किक आधार है परन्तु भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ महिलाओं को भ्रूणहत्या ,घरेलु हिंसा ,दहेज़ हत्या ,बलात्कार ,मानसिक उत्पीड़न जैसे अमानवीय कृत्यों का सामना करना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक –आर्थिक विकास के प्रमुख साधन के रूप में विकसित होने की पूर्ण सम्भावना है .

डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी संबंधित गाइडलाइन एवं कम्पनी अधिनियम 2013 : महिला सशक्तिकरण के नए आयाम

विकास सिंह यादव

शोधछात्र, समाजशास्त्र विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले दशकों में कई कानून बनें ,फिर भी सशक्तिकरण वांछित स्थिति तक नही पंहुचा .ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम 2013 के माध्यम से सराहनीय प्रयास किया है . इस अधिनियम में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी(सी एस आर) को वैधानिकता प्रादान की गयी. इस अधिनियम के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज(डी पी इ) की सी एस आर संबंधित गाइडलाइन भी महिलाओं को उच्च आर्थिक स्थिति वाली कंपनियो में नियुक्ति का अधिकार देती है.जिससे महिलाएं आर्थिक निर्णयों में बराबर की सहभागी बनें.

इस अधिनियम के सेक्सन 135 में सी एस आर के निर्धारित मानक को पूरा करने वाली कंपनियो को सी एस आर समिति का गठन करना है, जिसमे एक महिला की नियुक्ति होना अनिवार्य है . डी पी इ की गाइडलाइन में सी एस आर नीतियों के तहत खर्च के लिये प्राथमिक शिक्षा ,स्वास्थ्य, पुनर्वास एवं प्रधानमंत्री राहत कोष आदि क्षेत्रों का उल्लेख है, जिससे कोई भी कंपनी निर्धारित क्षेत्रों से अन्यत्र खर्च ना करे. प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को वरीयता दी गई है. यदि कम्पनी अधिनियम 2013 और डी पी इ की गाइडलाइन को उचित तरीके से क्रियान्यवित किया गया तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय योगदान होगा.

सोशल मीडिया में महिलाओं की बढ़ती जागरूकता : एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

अजीत कुमार

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वर्तमान समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर है. २१वीं शताब्दी में हम मानवों ने अपना कदम रख दिया है. समाज की आधुनिकता के साथ ही तकनीकी स्वरुप से भी हम वैश्विक होते जा रहे हैं. वैश्विकता का मुख्य संचालन सोशल मीडिया नेटवर्किंग के द्वारा ही सुलभ एवं सफल हो पाया है. महिलाओं की सजगता एवं स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण स्वरुप सोशल मीडिया बनता जा रहा है. ट्विटर , फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जैसे अनेकों साधनों के द्वारा महिलाएं सामाजिक रूप से अपनी स्वछंदता का प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं. भारतीय समाज में जहाँ महिलाओं को पर्दा करना, गैर लोगों से बात न करना आदि जैसी मान्यताएं प्रचलित थी वहीँ आज इन्ही दकियानूसी मान्यताओं पर सोशल मीडिया में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक करारा जवाब है.

आज महिलाएं इन साधनों के द्वारा न केवल अपने आस-पड़ोस, रिश्तेदारों, यहाँ तक की वैश्विक स्तर तक संबंधों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं. महिलाओं की बढ़ती जागरूकता काप्रमाण इन्ही सोशल मीडिया से जुड़ी पोस्टों से प्रमाणित होता है. इन साधनों के द्वारा भी महिलाएं अपने अधिकारों को जानने लगी हैं तथा उसका उचित उपयोग भी करना सीख रही हैं.सोशल मीडिया न केवल सम्बन्धोंको दृढ़ एवं सफल बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं अपितु इनके द्वारा रोज़गार की भी उपलब्धी हो रही है.

सरोगेसी : नियमन की आवश्यकता

प्रा.आनंद मुसळे
मास्टर दीनानाथ मंगेशकर महाविद्यालय,औराद शहाजनी ता. निलंगा जि.लातूर.

मानवजीवन में विवाह संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। सदियोंसे इस संस्था में समयानुसार परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान में सरोगेसी तकनीक के परिणामस्वरूप विवाहसंस्था परिवर्तन की दौर में है। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसमें माता–पिता के अंडाणु व शुक्राणुओं का प्रयोगशाला में मेल करके भ्रुण को सरोगेट मदर की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।

सरोगेसी का अर्थ है किसी अन्य स्त्री का कोख किराए पर लेना । यहॉ सवाल यह है कि, यह अन्य स्त्री कौन? गर्भाशय किराये पर लेने का अधिकार किसे है? ऐसे कई सारे सवाल है जिनकी स्पष्ट व सुयोग्य तरीके से व्याख्या करने की जरूरत है। लेकिन यहॉ एक बाब पूरी तरह से स्पष्ट है कि, ऐसे दंपति जो नैसर्गिक तरीके से संतती होने मे अक्षम है जिनका बार–बार गर्भपात होता हो, युट्रस का दुर्बल होना या किसी अन्य कारण से जिनको बच्चों को जन्म देना असंभव है वे ही सरोगेसी के वास्तव में हकदार है। यह तकनीक ऐसे निःसंतान के लिए चिकित्सा का बहेतरीन विकल्प है।

तकनीक में मनुष्यहित अंतर्निहित है। इसका सही या गलत उपयोग करना मनुष्य पर निर्भय है। एक तरफ सरोगेसी तकनीक का दुरूपयोग हो रहा है। तो दुसरी तरफ जरूरतमंद दंपति इसका लाभ नही उठा पा रहे है। समय रहते ऑख खुली रखकर इसको सुयोग्य कानून का रूप देना चाहिए अन्यथा एक वरदान स्वरूप तकनीक समस्या का रूप लेते दिखाई देगी तो आश्चर्य नही होगा।

बीड़ी उद्योग में संलग्न महिला श्रमिकों की समस्या

वर्षा जायसवाल
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी

बीड़ी उद्योग में संलग्न श्रमिक बहुधा समाज के संवेदनशील और प्रभावहीन क्षेत्र के अंतर्गत आते है। ग्रामीण भारत में अधिकांशतः श्रमिक बीड़ी उद्योग में संलग्न है, जिसमें महिला श्रमिकों की प्रधानता है। इन्हें लगातार अपने अतिजीवन के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है जिसका मुख्य कारण अशिक्षा है और इसी अशिक्षा के कारण इन्हें ठेकेदारों द्वारा विभिन्न प्रकार के शोषण, चिकित्सा सम्बन्धी असुविधा एवं सरकारी नीतियों की उपेक्षा जैसी परिस्थितियों के समकक्ष होना पड़ता है। बीड़ी उद्योग में संलग्न महिला श्रमिक बीड़ी बनाने का कार्य स्वयं के घर पर ही करती हैं, जिसके कारण वह अन्य औद्योगिक जनबल से अलग–थलग पड़ जाती हैं जिसके फलस्वरूप बीड़ी उद्योग में संलग्न श्रमिकों का बुरी तरह से शोषण किया जाता है। महिला श्रमिकों को व्यावसायिक सम्बन्धी अनेक प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को सहन करना पड़ता है। वर्तमान अध्ययन वर्णनात्मक अध्ययन पर आधारित है जिसके अंतर्गत द्वितीयक स्रोत के माध्यम से बीड़ी उद्योग में संलग्न महिला श्रमिकों की समस्याओं उनके कारणों एवं उपाय जैसे जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा एवं कर्मचारियों की समस्याओं को कम करने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम बनाये जाये और उन्हें कार्यान्वित किया जाये सम्बन्धी अध्ययन पर आधारित है।

शब्द कुंज–बीड़ी उद्योग, महिला श्रमिक, समस्या, जागरूकता कार्यक्रम

कार्योजित महिलाओं की कार्यदशा का अध्ययन

सीमा यादव

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय - वाराणसी

किसी भी राष्ट्र या समाज के जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का होता है अर्थात सामाजिक संरचना में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु भारतीय समाज में अधिकतर परम्परायें, रीति–रिवाज, मान्यताएँ, मूल्य एवं नियम, लिंग–भेद पर आधारित है। समाज में पुरूष एवं स्त्री दोनों के लिए अलग–अलग मानदण्ड है। पुरूष इच्छानुसार कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय चुनने, जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है परन्तु अधिकतर महिलाएँ इन अधिकारों का इच्छानुसार चयन नहीं कर सकती। वर्तमान समय में महिलाओं की मनोवृत्ति में परिवर्तन देखने को मिलता है। कामकाजी महिलाएँ अर्थव्यवस्था के लिए कार्य कर रही हैं और दूसरों को भी नौकरी का अवसर प्रदान कर रही हैं तथा अपने और उनके परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक विकास के साथ अब महिलाएँ अपने परिवार की आय को अपनी क्षमता, योग्यता और ज्ञान से बढ़ा रही हैं। कामकाजी महिलाओं को केवल इसलिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह एक महिला है। वर्तमान समय में महिलाएँ अपने सपनों के कार्यक्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती हैं लेकिन यह भी सत्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्रों का चुनाव करना और उसमें आगे बढ़ना आसान नहीं है। घर और कार्यस्थल के दोहरी अपेक्षाओं के कारण कामकाजी महिला को बेहतर प्रदर्शन करने में कठिनाई होती है।

प्रस्तुत शोधपत्र प्रविधि अन्वेषणात्मक है, जो वाराणसी जिले के होटल में कार्यरत् महिलाओं पर आधारित है। जिसके अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु उत्तरदात्तियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि के माध्यम से किया गया है। तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में कार्योजित महिलाओं के कार्यस्थल से सम्बन्धित समस्याओं को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

महिलाओं के लिए समानता कार्यक्रम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मुजफ्फरपुर जिला के संदर्भ में)

डॉ० कामेश्वर सिंह

व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग,

अवध बिहारी सिंह महाविद्यालय,

लालगंज, वैशाली

महिला विकास कार्यक्रमों में प्रमुख बल देश में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर केन्द्रित किया गया है। मूल उपागम उन्हें आर्थिक रूप में स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाना है ताकि महिला समानता को सुनिश्चित किया जा सके। इससे वह विकास की मुख्य धारा में विलय होकर पुरूषों के साथ समान सहभागिता के रूप में भाग ले सकें। महिला समानता को प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम अपना ध्यान महिलाओं में उनके अधिकारों, समाज में उनकी स्थिति एवं भूमिका के प्रति जानकारी उत्पन्न करना, समाज में उनके समान अधिकारों के बारे में जन – चेतना उत्पन्न करना तथा उनके शैक्षिक विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने पर केन्द्रित करते हैं। भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति का पुरूषों की तुलना में विभिन्न सामाजिक – आर्थिक सूचकों से पता लगता है : प्रतिकूल लिंग अनुपात, निम्नतर जीवन प्रत्याशा, उच्च बालिका मृत्यु दर, कम महिला साक्षरता दर, शिक्षण संस्थाओं में कम प्रवेश, बालिकाओं में स्कूल छोड़ देने की उच्च दर, महिलाओं द्वारा कार्यों में भागीदारी की निम्न दर, वर्तमान एवं उभरती हुयी प्रौद्योगिकीयों में उनकी कम पहुँच, सामाजिक अयोग्यताएँ आदि। इसके लिये विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, विधि निर्माण आदि के क्षेत्रों में सतत् एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :– प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य है :–

(1) महिला समानता कार्यक्रम का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है।

(2) महिला समानता कार्यक्रम के बारे में महिलाओं को जागरूकता कितनी है।

(3) महिला समानता कार्यक्रम में कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है।

समग्र एवं निदर्शन :– प्रस्तुत अध्ययन बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में सुविधाजनक निदर्शन पद्धति द्वारा चुनी गई 100 उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है जिसमें जाति एवं शिक्षा को चर के रूप में लिया गया है।

निष्कर्ष :– इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए समानता कार्यक्रम से स्पष्ट है कि अंशतः सामाजिक जागृति एवं विभिन्न रूपों एवं प्रकार से प्रदर्शनीय मनोवृतियों में परिवर्तन तथा अंशतः सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी उपायों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में महिलाओं को समाज में बेहतर स्थिति प्राप्त हुई है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के संदर्भ में)

डॉ० रणवीर कुमार

Post Doctoral Fellow (UGC)

बी० आर० अम्बेदकर बिहार

विश्वविद्यालय - मुजफ्फरपुर

महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी एवं परम्परात्मक सोंच ने 20वीं सदी के आरंभिक दशक तक स्त्री को पिता, पति एवं पुत्र का आश्रित मानते हुए उसे मुख्य रूप से घर की चाहरदीवारी तक सीमित रखा। खाना बनाना, बच्चों, पति एवं बुजुर्गों की देखभाल करना जैसी परंपरागत भूमिका की गिरफ्त में उलझी महिलाओं के लिए कुछ अपवादों एवं उदाहरणों को छोड़कर कोई अन्य गैर घरेलू भुमिका न के बराबर थी। हाल के कुछ दशकों से महिलाओं ने बड़ी तादाद में घरेलू दायित्वों के अतिरिक्त कारखानों, बगानों, खादानों, सरकारी कार्यालय छोटे एवं बड़े पैमाने के उद्योगों, विनिर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के पापड़, कालीन, जरी, ईंट भट्ठा, सिल्क एम्ब्रोइडरिंग, टेलरिंग, बीड़ी निर्माण कार्य तथा कृषि कार्य में एक श्रमिक की नई भूमिका के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं की इस नई भूमिका का जन्म इनके प्रति बदली हुई सामाजिक सोच, कमजोर पड़ते रूढ़िवादी दृष्टिकोण, पनपती नई आर्थिक संस्कृति एवं परिवार पर बढ़ते हुए आर्थिक दबाव का परिणाम है। असंगठित क्षेत्र अर्थात् पापड़, कालीन, जरी, ईंट भट्ठा, सिल्क एम्ब्रोइडरिंग, टेलरिंग, बीड़ी निर्माण कार्य तथा कृषि कार्य आदि में लगे महिला श्रमिकों का अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण होता है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2001) ने भी माना है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है, जिसमें उनकों मनमाने ढ़ंग से न केवल कच्ची सामग्री के नियोजक व ठेकेदारों द्वारा कम आपूर्ति की जाती है बल्कि मजदूरी भी कम दी जाती है जिसके कारण इनकी मेहनत का अंश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम दृश्य होता है। इसके साथ ही मजदूरी दिलाने को लेकर बिचौलियों व ठेकदारों द्वारा कई प्रकार का शोषण उनके विरूद्ध किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य :– :– प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने पारिवारिक आर्थिक दबाव के कारण इस कार्य में लग तो जरूर जाती हैं लेकिन इससे उनके जीवन में अनेकों संघर्ष का सामना करना पड़ता है विभिन्न प्रकार के होने वाले शोषणों के बावजूद अपनी नींद, आराम, फुरसत के पल आदि को गंवाना होता है। पुरूषों व महिलाऐं दोनों के कार्य करने के बावजूद भी घर की अर्थ – व्यवस्था दयनीय ही रहती है ? पुरूषों के बराबर कार्य करने के बावजूद भी इन्हें मजदूरी पुरूषों से कम क्यों दी जाती है ? असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिक इतना उपेक्षित होने के बावजूद भी सभी बातों को चुपचाप सहन कर कार्य कर रही हैं ? आखिर इन समस्याओं के पीछे कौन सी परिस्थितियाँ हैं ? इसके साथ ही कौन कौन से समस्यायें इन महिला श्रमिकों के समक्ष है उन सब बातों का पता लगाने के लिये प्रस्तुत अध्ययन की रूप रेखा तैयार की गयी है।

समग्र एवं निदर्शन :– प्रस्तुत अध्ययन के लिए बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है तथा अध्ययन क्षेत्र से 100 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से किया गया है तथा अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किया गया है।

ग्रामीण महिला एवं राजनीतिक सशक्तिकरण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मुजफ्फरपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में)

डॉ० मनोज कुमार

एम०ए०, पीएच० डी० (समाजशास्त्र)

बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

राजनीति संदर्भ में महिलाओं की सहभागिता का ज्ञान इस आधार पर हो सकता है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और इस में सहभागिता के मामलें में उन्हें कितनी स्वतंत्रता व समानता प्राप्त है तथा उनके योगदान को कितना महत्त्व दिया जाता है। राजनीतिक शक्ति संरचना एवं निर्णय प्रक्रिया से जुड़े कार्यकलापों में सशक्त तथा सुनिश्चित भागीदारी ही महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त कर सकती है। आज सम्पूर्ण विश्व की महिलाएँ समाज में शक्ति के असामन एवं एक पक्षीय वितरण को चुनौती देने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही हैं।

महिलाओं की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर राजनीति में उनकी सहभागिता का स्तर उच्चा हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता हेतु तीन आधारभूत सिद्धान्तों को अनिवार्य माना जा सकता है – (1) स्त्री – पुरूष के मध्य

समानता (2) अपने क्षमताओं के पूर्ण विकास का अधिकार (3) अपने प्रतिनिधित्व तथा निर्णय लेने का अधिकार

अध्ययन का उद्देश्य :– (1) ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री – पुरूष के मध्य समानता है। (2) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलायें अपने क्षमताओं का पूर्ण विकास कर पाती है। (3) अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर स्वंय निर्णय लेती है।

अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत अध्ययन बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखण्ड के संदर्भ में है।

निष्कर्ष :– प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भी ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष – स्त्री में गहरी असमानता है। ग्रामीण महिलाओं की क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है तथा वे अपना प्रतिनिधित्व एवं निर्णय को सुनिश्चित नहीं कर पाती है जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया। आज वे स्थानीय स्वशासन में अपना 50 प्रतिशत आरक्षण तो प्राप्त कर चूँकी पर समस्या जयों की त्यों बरकरार है।

ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मुजफ्फरपुर जिला के संदर्भ में)

डॉ० शिवचन्द्र प्रसाद चौधरी

व्याख्याता, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग

जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

वैश्विक स्तर पर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को समझाया गया है। महिलाओं में जैसे शिक्षा बढ़ेगी, उर्वरता, जनसंख्या, विकास, शिशु मृत्युदर में गिरावट और परिवार के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिक्षित महिला ज्यादा राजनैतिक तत्पर और अपने संवैधानिक हक के बारे में सजग रहती है और उसको पाने हेतु कार्यरत भी रहती है। सरकार ने मई 2009 में शैक्षणिक अवसरों को समान रूप से प्रदान करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कुंजी कार्यक्रम घोषित की। सरकार ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला शिक्षा पर जोर दिया। सरकार ने महिला शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया है इससे अन्य सभी सामाजिक विकास कार्यक्रम की धारणीय विकास हेतु गति निर्धारित करना है। जबकि महिला शिक्षा का तंत्रीकरण में महत्व है। सूक्ष्म स्तर पर महिलाओं

की शिक्षा में बाधाओं को संबोधित करने के लिए समग्र प्रयास है जिसे लोचशील, विकेन्द्रीकरण, प्रक्रियाओं तथा निर्णय लेने के माध्यम से किया जाता है।

इन सभी नीतियों के आधार पर ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा को आर्थिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को पहचान कर बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य है।

अध्ययन का उद्देश्य :– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि महिलाओं में बढ़ती साक्षरता दर ने ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में किस प्रकार अपनी भागीदारी निभायी है।

समग्र एवं निदर्शन :– प्रस्तुत अध्ययन के लिए बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है तथा अध्ययन क्षेत्र से सुविधाजनक निदर्शन पद्धति द्वारा 100 उत्तरदाताओं का चयन किया जाना है तथा अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन करना है।

निष्कर्ष :– निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में महिला साक्षरता बढ़ने से व महिलाओं के शिक्षित होने से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। विगत कुछ वर्षों में महिला साक्षरता के लिए बुनियादी और बड़े स्तर पर नए अवसरों को पैदा किया गया है जिससे समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं के लिए नये – नये रास्ते खुले हैं तथा वे आर्थिक व राजनैतिक रूप से सशक्त हुई हैं।